अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

प्रकरण संख्या 1/2017

1. उम्मेद सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र रूप सिंह जाति जाट निवासी हेतमसर उप तहसील मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू

प्रार्थीः–

बनाम

1. बनवारीलाल उम्र व्यस्क पुत्र चुन्नाराम जाति मीणा निवासी हेतमसर उप तहसील मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू
2. सावंरमल उम्र व्यस्क पुत्र चुन्नाराम जाति मीणा निवासी हेतमसर उप तहसील मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू

अप्रार्थीगणः–

उपस्थित अधिवक्ताः–
1. श्री अमित कुमार शर्मा–प्रार्थी की ओर से
2. श्री धर्मवीर –अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से

प्रार्थना–पत्र 251 (क) राज0 काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2012

दिनांकः–24.10.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी उम्मेद सिंह पुत्र रूप सिंह की जमीन खसरा न. 143 रकबा 3.12 हैक्टर, खसरा न. 297 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा न. 372 रकबा 1.73 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण की जमीन प्रार्थी की जमीन से सटकर खसरा न. 144 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा न. 145 रकबा 0.060 हैक्टर व खसरा न. 146 रकबा 3.5700 हैक्टर कुल रकबा 3.64 हैक्टर जमीन ग्राम हेतमसर में अवस्थित है। उक्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जमीन की सीमा आपस में सटकर स्थित है। चूंकि प्रार्थी की जमीन खसरा न. 143 मे कृषि कार्य में सिंचाई के प्रयोजन व कृषि भूमि में कृषि संसाधनो के आवागमन हेतु एक मांग चाहता है जो अप्रार्थीगण की काश्त की जमीन खसरा न. 145, 146 व 144 की सीमा से सटकर आता है। इसलिये प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को दिनांक 10 सितम्बर 2016 को रास्ते को पारस्परिक सहमति से तैय किये जाने हेतु कहा तो वे इन्कार हो गये। फिर दिनांक 22 सितम्बर 2016 को प्रार्थी ने राजस्थान सम्पर्क के पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवायी। जिस पर दिनांक 07.10.2016 को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के इन्द्राजात हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही को आदेशित किया, जिस कारण प्रार्थी को न्यायालय हाजा के यहा आवेदन करना आवश्यक हुआ है। जो न्यायालय क्षेत्राधिकार मे होने पर पेश किया गया है। अतः कदीमी वक्तो से प्रार्थी अपने खेत आने–जाने के प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराने का निवेदन किया है। उक्तानुसार प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया व तहसीलदार से प्रार्थना–पत्र मे वर्णित रास्ता भूमि बाबत रास्ता प्रावधानों के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट मय डी.एल.सी. दर सहित मगवाई गई। अप्रार्थीगण को न्यायहित

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

मे समुचित अवसर (लगभग 9 माह का समय) दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नही करने पर उनकी जवाबदेही बन्द की जाकर प्रकरण मे वकील पक्षकारान बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश मे ली गई। हमने प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों व मौका रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनू का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी को उक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2012 का स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाये गये। खसरा न. 145 व 146 की मेढ़ के सहारे–सहारे विन्दु 'बी' से 'ई' तक तथा खसरा न. 146 में मेढ़ के सहारे–सहारे विन्दु 'ई' से 'डी' तक जाकर खसरा न. 150 की सीमा तक नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टर 5,45,523 रूपये से खसरा न. 145 में से 24×4 मीटर =.0096 हैक्टर के डी.एल.सी. दर से 5,237 रूपये व खसरा न. 146 में से 248×4 मीटर=.0992 हैक्टर के डी.एल.सी. दर से 54,116 रूपयें कुल 5237+54116 =59,353 रूपये का प्रार्थी द्वारा अप्राथीगण को भुगतान करने के पश्चात् उक्त रास्ते मे दी गई व अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त यदि रास्ते में खडे वृक्ष सरंचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम भी अवधारित की जाकर जमा करवाने के आदेश भी दिये जाते है तथा प्रस्तावित पक्षकारो को प्रतिकर की मुआवजा राशि अदा किये जाने के आदेश भी दिये जाते है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मौके पर जाकर रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे तरमीम करे। तहसीलदार झुंझुनू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner